

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

महोदयजी,

रिपोर्ट पटवारी हल्का गणेशपुरा

निवेदन है कि ग्राम सदरामजी का क्षेत्र के खता सं. 121, 271 में खतबंदी का नाम बालुलाल पिता चुन्ना दर्ज है। जो सही नहीं है। जबकि खतबंदी दस्तावेज (अपिलार्ड) में बालुलाल पिता चुन्नीलाल बरत है। जो सही है। खतबंदी पिता का नाम चुन्ना के नाम पर चुन्नीलाल दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भूअनिरीक्षक वृत्त उमाजी बावड़ा

दिनांक: 31-10-21

खतबंदी रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ग्राम सदरामजी का क्षेत्र के खता सं. 121, 271 में बालुलाल पिता चुन्ना के बजाय बालुलाल पिता चुन्नीलाल किया जाना उचित है।

डि.ए. सी. बावड़ा
31-10-2021

रिपोर्ट तहसीलदार, जिला पटना

दिनांक: -1-11-2021

डि.ए. सी. बावड़ा/गज./21/05

महोदय जी, खतबंदी रिपोर्ट पटवारी गणेशपुरा व भूअनि. व संगठन खतबंदी के अनुसार ग्राम सदरामजी का क्षेत्र के खता सं. 121, 271 में बालुलाल पिता चुन्ना के बजाय बालुलाल पिता चुन्नीलाल रजि करके की अनुशाखा की जाती है।

तहसीलदार

आदेश

के.एस. बावड़ा
तहसील विजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पटवारी पं.ट. गणेशपुरा व भूअनि उमाजी बावड़ा की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार विजौलियां की स्पष्ट अनुशाखा के आधार पर आवैरक बालुलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बरत के ग्राम सदरामजी का क्षेत्र के खता संख्या 121-271 में प्रार्थी का नाम बालुलाल पुत्र चुन्ना जाति बरत के स्थान पर बालुलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बरत किया जाता है।

उपरखण्ड अधिकारी
पटवारी गणेशपुरा
दिनांक: 01/11/21
विजौलियां (भीलवाड़ा)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प सदा राम जी का खेड़ा

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजो लिखा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान: सदा राम जी का खेड़ा

—आदेश—

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाबुलाल पुत्र की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजो लिखा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-रा अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सदा राम जी का खेड़ा तहसील विजो लिखा जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2078 में खाता संख्या 121, 271 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सदा राम जी का खेड़ा	121, 271	बाबुलाल पुत्र चून्ना जाति बलाई अंकित है।	बाबुलाल पुत्र चून्नीलाल जाति बलाई किया जाता है।



(विजो लिखा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, विजो लिखा

क्रमांक :- 185/21

दिनांक :-

विलिपि :-

1. तहसीलदार, विजो लिखा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राथी श्री बाबुलाल पुत्र - चून्नीलाल बलाई को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(विजो लिखा)
पीठासीन अधिकारी 2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, विजो लिखा

viral9099@gmail.com; viral9099@gmail.com